न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :— विनित कुमार सुखाडिया (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 57 / 2020

1. सत्यनारायण दाधीच आयु 50 साल आ0 गोविन्द दत्त जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादी

बनाम

1. गोविन्द दत्त आयु 90 साल आ0 कल्याण दत्त जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. भोलाशंकर आयु 68 साल आ0 गोविन्द दत्त जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
3. विष्णु दत्त आयु 64 साल आ0 गोविन्द दत्त जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
4. हरिनारायण आयु 60 साल आ0 गोविन्द दत्त जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट
2— प्रतिवादीगण की और से श्री निलेश कुमार सामरिया, एडवोकेट।

—::निर्णय::— दिनांकः 27.07.2021

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 21.07.2020 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 139 व पुराना 125 की कृषि भूमि खसरा संख्या 196 रकबा 0.14 है0, खसरा सं. 197 रकबा 0.31 है0,

ख.स. 198 रकबा 0.23 है0, खसरा सं. 751 रकबा 0.05 है0, खसरा सं. 3091 रकबा 1.13 है0, खसरा सं. 3097 रकबा 1.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.04 है0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम व माल जैथल, पटवार हल्का जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है तथा सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। वादी 1/5 हिस्से का पृथक बंटवारा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी पृथक से निवास कर रहा है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिये अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में से वादी के कब्जे काश्त की भूमि का 1/5 हिस्से का पृथक बंटवारा दर्ज किये जाने की विधिवत घोषणा की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्से का पृथक–पृथक बंटवारा दर्ज किया जावे।

3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की और से दिनांक 19.07.2021 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.07.2021 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 139 की खसरा सं. 3097 रकबा 1.18 है0 में से 0.59 है0 पूर्व दिशा वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, वादी सत्यनारायण दाधीच आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 196 रकबा 0.14 है0, खसरा सं. 197 रकबा 0.31 है0, खसरा सं. 198 रकबा 0.23 है0, खसरा सं. 751 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 1 गोविन्द दत्त आ0 कल्याण दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 3091 रकबा 1.13 है0 में से 0.56 है0 पूर्व दिशा वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 2 भोलाशंकर आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 3097 रकबा 1.18 है0 में से 0.59 है0 पश्चिम दिशा वाके ग्राम जैथल

तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 3 विष्णुदत्त आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 3091 रकबा 1.13 है0 में से 0.57 है0 पश्चिम दिशा वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 4 हरिनारायण आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा ज़ारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत   इजलास – विनित कुमार सुखाड़िया
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन   (आर.ए.एस.)

सत्यनारायण दाधीच   v/s   गोविन्द दत्त वगै0

वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 57 / 2020

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 की ओर से श्री निलेश कुमार सामरिया की उपस्थिति में आज दिनांक 27.07.21 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 139 की खसरा सं. 3097 रकबा 1.18 है0 में से 0.59 है0 पूर्व दिशा वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, वादी सत्यनारायण दाधीच आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 196 रकबा 0.14 है0, खसरा सं. 197 रकबा 0.31 है0, खसरा सं. 198 रकबा 0.23 है0, खसरा सं. 751 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 1 गोविन्द दत्त आ0 कल्याण दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 3091 रकबा 1.13 है0 में से 0.56 है0 पूर्व दिशा वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 2 भोलाशंकर आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 3097 रकबा 1.18 है0 में से 0.59 है0 पश्चिम दिशा वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 3 विष्णुदत्त आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 139 की खसरा सं. 3091 रकबा 1.13 है0 में से 0.57 है0 पश्चिम दिशा वाके ग्राम जैथल तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 4 हरिनारायण आ0 गोविन्द दत्त के हिस्से में रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत .... ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/07/2021 को जारी की गई।

(मोहर)

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन